(1)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन जिला - भरतपुर (राज०)
पीठासीन अधिकारी :- श्री ललित मीणा आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या :- 69/2019 (प्रार्थना पत्र)

उनवान :-
1. सौमोती उम्र 65 वर्ष पुत्री दौलत सिंह पत्नि निर्भय सिंह जाति गूजर निवासी खोहरा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज०)
2. गौमती उम्र 62 वर्ष पुत्री दौलत सिंह पत्नि सुरेन्द्र सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज०)
3. शिवदेई उम्र 58 वर्ष पुत्री दौलत सिंह पत्नि फतेह सिंह जाति गूजर निवासी बिलौठी तहसील व जिला भरतपुर (राज०)
4. लक्ष्मी उम्र 50 वर्ष पुत्री दौलत सिंह पत्नि आशाराम जाति गूजर निवासी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)
5. प्रेमवती उम्र 50 वर्ष पुत्री दौलत सिंह पत्नि शिवराम जाति गूजर निवासी परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर (राज०)

------ प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेई उम्र 52 वर्ष पुत्री दौलत सिंह जाति गूजर निवासी खोहरा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज०)
2. रूपन्ती उम्र 89 वर्ष पत्नि दौलत सिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज०)
3. जगदीश कौर पत्नि रामस्वरूप जाति गूजर निवासी कुन्देर हाल उच्चैन तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज०)

------ असलप्रतिवादीगण

4. ताराचंद पुत्र मांगीलाल जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज०)
5. सोमवती पत्नि लालसिंह जाति गूर्जर निवासी उच्चैन तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज०)

------ तरतीबी प्रतिवादीगण

तहसीलदार ... भरतपुर ... कार्यालय

--PTO--

6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब रूपवास जिला भरतपुर (राज०)

---- फॉर्मल प्रतिवादी/अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर० टी० ए०

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री जयप्रकाश शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेंद्र चौधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12/11/21

संक्षेपत: प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आर० टी० ए० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि विवादित आराजी खाता० स० 341, 342, 340 ख०न० 624 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 699 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, 700 रकबा 06 विस्वा, 1570/607 रकबा 18 विस्वा 1571/607 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा 1572/608 रकबा 17 विस्वा 1573/608 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 1670/626 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 1707/1108 रकबा 1 बीघा 02 विस्वा, 1713/1110 रकबा 7 बीघा 05 विस्वा हिस्सा $\frac{14}{12}$ कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी बाकें ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर (राज०) मे स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 संलग्न है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की छोड़ी हुई आराजी है। जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही हक निहित है।

उक्त आराजी में अप्रार्थी स० 2 सह खातेदार नही है। प्रार्थीगण के पिता दौलत सिंह के मरणो उपरान्त अप्रार्थी स० 2

--PTO--

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

के नाम उत्तराधिकार मे गलत दर्ज हो गई है। उक्त आराजी मे अप्रार्थी स० 2 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी स० 1 ने अप्रार्थी स० 2 को बहला फुसला रखा है। तथा अप्रार्थी स० 1 व 2 के मन बदनियति आ गई है। उक्त आराजी मे से ख० नं० 1713/1110 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा के $\frac{114}{145}$ हिस्सा का दान पत्र व ख० नं० 1707/1108 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा का $\frac{2}{3}$ हिस्सा विक्रय पत्र दिनांक 04-06-2014 को अप्रार्थी स० 2 ने निष्पादित भी कर दिये है। अप्रार्थीगण द्वारा दी गई धमकियां धमकी से प्रार्थीगण परेशान हो गये है। कि यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना संभव नही है। इसलिये प्रार्थीगण को अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स० 1 व 2 को उनके $\frac{5}{6}$ हिस्से तक शान्तिपूर्वक काश्त करने, किसी प्रकार का मदाखलत, मजाहमत बेजा न करने, उक्त आराजी का अन्यत्र हस्तान्तरण न करने एव मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स० 1 लगा० 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी स० 2 ने अपने जवाब मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया।

अप्रार्थी स० 1 व 3 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है। दावा मे वर्णित आराजी वाके ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन तहसील रूपबास मे किसी प्रकार का प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। और ना ही प्रार्थीगण सह खातेदार है। सारे तथ्य झूठे एव बेबुनियाद है। क्योकि न तो उक्त आराजी और नाही उक्त आराजी मे प्रार्थीगण का कोई अधिकार है। उक्त आराजी अप्रार्थी स० 2 की स्व अर्जित आराजी है। जो उसने नवाब कौर पत्नि घनश्याम जाति-गूजर निवासी खुडासा से

--PTO--

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अर्जित की है। एव स्व अर्जित आराजी को खातेदार अपने जीवन काल में अपनी इच्छा अनुसार रहन वय मुन्तकिल कर सकता है। अप्रार्थी स० 1 व 3 ने प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०ए० को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उभयपक्ष के योग्य अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। तथा उनके तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एव अप्रार्थीगण के जवाव प्रार्थना पत्र एव राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्राइमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है। कि -

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई से पाबन्द किया जाता है कि तादौराने वाद विवादित आ० ख० न० 624 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 699 रकबा रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 700 रकबा 06 बिस्वा, 1570/607 रकबा 18 बिस्वा, 1571/607 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1572/608 रकबा 17 बिस्वा, 1573/608 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 1670/626 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1707/1108 1 बीघा 02 बिस्वा, 1713/1110 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन मे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बरसे कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(signature)
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)